

पुस्तक को खरीदने के लिए
कॉल करें 06-02-2024

आपकी सेवाओं को खोजने से सहायता करने में हमें और उसके लिए आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं।

प्रतिष्ठान का पता
प्राथमिक अधिकारी, कलकत्ता

424, टिप्टोका 06-02-2024



प्रथमा यू०पी० ज्ञानमिण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब बँचबन्क बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

नीलामी सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार
पयेंडा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
फोन- 7217028797, 7217029220 फैक्स- 056-2412155
E-Mail: rmmzn@prathamaupbank.com

वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अवल संपत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जाएगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तदनुश्रवण उनके द्वारा बैंक को देना कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित संपत्तियों को जैसा है जहाँ है जो कुछ भी है (As is where is and as is basis) के आधार पर प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का निर्णय लिया है।

क्र.सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति सौदा का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा: गांधी कॉलोनी जिला मुजफ्फरनगर	श्री अमित राजपूत पुत्र श्री ओमपाल सिंह	एक व्यावसायिक दुकान स्थित श्रीराम प्याजा न्यू मंडी दुकान संख्या 62 सी, तृतीय तल नगर पालिका नंबर 98 वी सेगमेंट संख्या 7 तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर। बाउण्ड्री पूर्व: दुकान नं. 61सी सहित 8.33 फीट, पश्चिम: दुकान नं. 63सी सहित 8.33 फीट, उत्तर: अन्य की संपत्ति सहित 15.16 फीट, दक्षिण: रास्ता 4.75 फीट चौड़ा सहित 15.16 फीट।	Rs. 456759.38 + ब्याज एवं अन्य खर्च 01.10.2023 से	Rs. 610000/-	Rs. 61000/-	दिनांक 07.03.2024, बृहस्पतिवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार, पयेंडा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

संपत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तः (1) उक्त संपत्तियाँ उपरोक्त गैर रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। संपत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सन्धिस्थित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मार्ग ड्राफ्ट अर्नस्ट मनी डिपोजिट (इं०एम०डी०) के रूप में सन्धिस्थित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व साय 5:00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मार्ग ड्राफ्ट द्वारा प्राथमिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी इं०एम०डी० जमा कर ली जाएगी। अदा की गयी इं०एम०डी० प्राथमिक भुगतान राशि में समाविष्ट कर दी जाएगी। असफल बोलीकर्ताओं की इं०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जाएगी। (4) बोली को शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के परबत 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्राथमिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जाएगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जाएगी। (5) जिस संपत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस संपत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्युनिसिपल/टक्स/बिल्ली/पानी/अन्य प्रकार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जाएगी। (6) प्राधिकृत अधिकारों को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। (9) बोली कर्ता को अर्नस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सन्धिस्थित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मार्ग ड्राफ्ट अर्नस्ट मनी डिपोजिट (इं०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक सन्धिस्थित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त संपत्तियाँ जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जाएगी। (11) ऋणियों गारंटी दालाओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं खर्च सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्च सहित वसूल की जाएगी।
दिनांक: 06.02.2024
स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एलएन 11/3) भागकर जैन कर्मों पीड ने उसकी बाइक न
सुशील चंद्रधान ने बताया कि सभी कार्यक्रम



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(पूर्ववर्क: पंजाब बैचनल बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्थिरता का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अवलत सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्थिरता का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्परचात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकारक कच्चा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जेसा है जहाँ है जो कुछ भी है (As is where is what is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पहले हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्न्त शक्ति	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा: गांधी कॉलोनी जिला मुजफ्फरनगर	श्री अभिल राजपूत पुत्र श्री ओमपाल सिंह	एक व्यावसायिक दुकान स्थित श्रीराम प्लाजा न्यू मंडी दुकान संख्या 62 सी, तृतीय तल नगर पालिका नंबर 98 श्री संगमेट संख्या 7 तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर। बाइक सी पूर्व: दुकान नं. 61सी सहित 8.33 फीट, परिधि: दुकान नं. 63सी सहित 8.33 फीट, उत्तर: अन्य की सम्पत्ति सहित 15.16 फीट, दक्षिण: संस्था 4.75 फीट चौड़ा सहित 15.16 फीट।	Rs. 456759.38 + खास एवं अन्य खर्च 01.10.2023 से	Rs. 610000/-	Rs. 610000/-	दिनांक 07.03.2024, हरमतिवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार, पंचपड़ा रोड, मुजफ्फरनगर (2090)

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्तियाँ कम्परेटिव मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली जगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जर्नेट धनशक्ति प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पास से देय भुगतान आदेश/मॉग वॉचर अर्न्त रानी डिपॉजिट (₹०.९५००००) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व साय 5.00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी सम्पादन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत शक्ति भुगतान आदेश/मॉग वॉचर द्वारा प्राथमिक डिपॉजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ₹०.९५०००० जमा कर ली जायेगी। अदा की गयी ₹०.९५०००० प्राथमिक भुगतान शक्ति में समायाजित कर दी जायेगी। असकल बोलीकर्ताओं की ₹०.९५०००० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष शक्ति प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की बोली करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्राथमिक डिपॉजिट शक्ति उक्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए कोसा अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी स्थानिक/टैक्स/जिजली/वानी/अन्य प्रभार वृष्टीज एवं कर जो भी हों भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी कोसा की होगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की शर्तों से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण शक्ति अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयाजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्न्त धनशक्ति प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पास से देय भुगतान आदेश/मॉग वॉचर अर्न्त रानी डिपॉजिट (₹०.९५००००) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व साय 5.00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियाँ जेसा है, जहाँ है, जितना है जेसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि निम्न नोटिस के अनुसार समस्त शक्ति (खास एवं अन्य खर्च सहित) नीलामी की शर्तों से पहले जमा करा दे। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और सभी हुई शक्ति यदि कोई है, खास एवं खर्च सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 06.02.2024

स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (2090)

आधिकारिक काम के लिए आदेश उन्हीं को कहा पर चर्चे को करने के लिए

स्व. रॉ. डी. 20 रॉ. क. प्र. 100